जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी –श्री वेद प्रकाश मोदी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1241/2026
राज्य बनाम् उमाशंकर राय वगैरह

आदेश

25.06.2026 : प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदकगण **उमाशंकर राय, पिता–स्व0 कैलाश प्रसाद राय, उम्र–52 वर्ष**, **सुजीत कुमार राय उर्फ सुजीत राय, पिता–स्व0 सुनिल राय उर्फ सुनील कुमार राय, उम्र–36 वर्ष** की ओर से दाखिल किया गया है जो **धारा–115(2), 126(2), 352, 351, 109, 303(2), 3(5) B.N.S.** के अधीन दर्ज बेगूसराय, **बरौनी थाना काण्ड संख्या–72/2026** में पुलिस की गिरफ्तारी की आशंका से सशंकित हैं तथा उक्त वाद **वर्तमान में विद्वान मुख्य न्या0 दण्डा0, बेगूसराय के न्यायालय में लंबित है।**

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 2 पर एक प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से कानून के किसी भी प्रावधानों के तहत कोई जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया है।

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 3 पर यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है न ही अनुसंधान लंबित है और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु लंबित है। जहां तक प्राथमिकी में दर्ज बरौनी थाना कांड संख्या–197/24 का मामला है तो उक्त मुकदमा अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी द्वारा अनुसंधानोंपरांत न्यायालय के अंतिम प्रपत्र भूमि विवाद कहकर आवेदकगण के पक्ष में समर्पित किया गया।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मनोज ठाकुर को सुना।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रस्तुत मुकदमा झूठा, मनगढ़ंत, बेवुनियाद आरोप लगाकर एवं स्थानीय थाना को मेल में लाकर बरौनी थाना कांड सं–73/26 से बचने के लिए तथा दबाव डालने के लिए आवेदकगण के विरूद्ध दर्ज करवाया गया। दोनों पक्षों के बीच मूल रूप से जमीनी विवाद है। सूचक और आवेदकगण एक ही वंशज के व्यक्ति हैं तथा दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद है तथा सूचक अपनी हिस्से की जमीन से ज्यादा बेच चुके हैं तथा अब जो है आवेदकगण के जमीन पर भी अपना दावा करते हैं जो सरासर गलत, अन्यायपूर्ण तथा गैर कानूनी है। फिर भी पाश्विक बल के सहारे जबरदस्ती आवेदकगण के जमीन को दखल करने का प्रयास करते रहते हैं जिससे संबंधित उभय पक्षों के बीच जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–111/605/24–25 एवं मोटेशन रिवीजन वाद संख्या–90/25–26 एवं 91/25–26 राजस्व न्यायालय, बेगूसराय एवं कार्यपालक दंडाधिकारी सदर बेगूसराय में उभय पक्षों के बीच में चल रहा है। प्राथमिकी में दर्ज कराए गए सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं सिर्फ धारा–109 एवं 303(2) को छोड़कर जो गैर जमानतीय प्रकृति के हैं जो मामले को गैर जमानतीय प्रकृति को बनाने के लिए लगाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध अभियोजन का कथन बिल्कुल ही झूठा एवं आधारहीन है। साथ ही आवेदक अभियुक्तगण न्यायायल द्वारा आरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और उचित राशि के बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अंत में निवेदन करते हैं कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का कृपा की जाए।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1241/2026
राज्य बनाम् उमाशंकर राय वगैरह

25.06.2026 : अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 20.05.26 को समय करीब 3:00 बजे दिन में अपने खरीदगी जमीन को मौजा हाजीपुर स्थित को ट्रैक्टर से जोत करवाने गया। ड्राईवर खेत जोतने लगा। मैं खेत में खड़ा था कि एकाएक उमाशंकर राय, पे0 स्व0 कैलाश प्रसाद राय, क्षितिज कुमार उर्फ वसंत कुमार पे. उमाशंकर राय, सुजीत राय, पे0–स्व0 सुनील कुमार राय तीनों साकिन–हाजीपुर वार्ड नं.05, 06 नगर परिषद् बीहट, थाना–बरौनी ने इकट्ठा होकर जान मारने की नियत से अपने–अपने हाथों में हथियार लेकर आये और मेरे साथ गाली–गलौज करने लगा तथा खेत जोतने से मना किया। मैं विरोध किया तो इतने में उमाशंकर राय बोला कि देखते क्या हो साले को जान से मार दो। उमाशंकर राय मुझे पकड़ लिया और सुजीत कुमार राय ने अपने हाथ में लिए पिस्तौल के बट से प्रहार किया। मैं झुक गया जिससे मेरे दाहिने आंख के बगल कनपट्टी में चोट लगी। क्षितिज कुमार मेरे गर्दन के पीछे बट से मारा उमाशंकर राय ने फैट से नाक पर मारा जिससे मेरे नाक से खुन निकलने लगा। मैं दर्द के मारे जमीन पर बैठ गया। सुजीत कुमार मुझे कनपट्टी में पिस्तौल सटा कर मेरे गले से सोना का सिकड़ी छिन लिया और क्षितिज कुमार मेरे जेब से 2300/–रु0 निकाल लिया। ये तीनों पहले से ही अपराधी प्रवृति के आदमी है। इससे पहले भी तीनों के विरूद्ध बरौनी थाना कांड संख्या–197/24 एस.सी/एस.टी दर्ज है एवं 30/25 एवं 37/25 अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय जिसका डी. बी0 नं0–350/24 दर्ज है। अंचल अधिकारी बरौनी वाद संख्या–02/26 दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी वाद संख्या–927/22 दर्ज है। अनुमंडलाधिकारी के समक्ष दफा 126 बी. एन. एस.एस. की कार्रवाई चल रही है एवं और भी बहुत कांड मारपीट का ही बरौनी थाना के द्वारा दर्ज है। मैं किसी तरह अपना जान बचाकर थाना पर आया। मुझे व मेरे परिवार को कभी भी जान से मार देगा।

वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि काण्ड दैनिकी की कंडिका–13 में अभियुक्तगण/आवेदकगण के विरूद्ध एक आपराधिक इतिहास दर्ज है और अग्रिम जमानत आवेदन के पारा–3 में भी एक आपरधिक इतिहास दर्ज है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–4, 7, 8, 9, 41, 45 में वादी एवं साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका–26 में इस कांड के पुलिस निरीक्षक सह पर्यवेक्षी पदाधिकारी बरौनी थाना अंचल का पर्यवेक्षण टिप्पणी है। आवेदक अभियुक्तगण के ऊपर सूचक द्वारा आरोप लगाया गया है कि उमाशंकर राय एवं सुजीत राय जान मारने की नियत से सूचक अजय कुमार राय को पकड़ लिया और सुजीत कुमार राय ने पिस्तौल के बट से उस पर प्रहार किया। किन्तु सूचक झुक गया और उसके दाहिने आंख के बगल कनपट्टी में चोट लगी। सूचक अजय कुमार राय के जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जख्मी के शरीर पर साधारण प्रकृति का जख्म कारित किया गया है और सी0 टी0 स्कैन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कोई गंभीर जख्म सिर पर नहीं पाया गया है। अनुसंधान अभी जारी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचना स्वरूप एवं जख्म की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1241/2026
राज्य बनाम् उमाशंकर राय वगैरह

25.06.2026 : अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण **उमाशंकर राय, पिता–स्व0 कैलाश प्रसाद राय, उम्र–52 वर्ष, सुजीत कुमार राय उर्फ सुजीत राय, पिता–स्व0 सुनिल राय उर्फ सुनील कुमार राय, उम्र–36 वर्ष** की ओर से मो0 10000/–(दस हजार रुपये) का बंध पत्र एवं उसी समान राशि का दो प्रतिभू दाखिल करने के पश्चात् विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आवेदक अभियुक्तगण आत्मसमर्पण करेंगे।

1. एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे।

लेखापित
ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्
बेगूसराय

प्रतिलिपि :– इस वाद से संबंधित निम्न न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्
बेगूसराय